मसूदा (अजमेर)

30/9/16 वादी स्वयं तथा उसके अभिभाषक उपस्थित। इन्होंने प्रकरण पर आगे कार्यवाही नही चलाने का आग्रह करते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर करने का आदेश पत्र पर अंकित किया। वादी जब स्वयं ही अपने वाद पत्र पर आगे कार्यवाही नही चाहता है। तो व्यर्थ मे लंबित रखना न्यायोचित नही है अतः वाद पत्र पर कार्यवाही रोक दी जाती है मिसल फैसल शुमार होकर नगर से कम हो वाद दाखिल तकमील दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

मे आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते

चेतन्य

चेतन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.13 16:43:25 IST
Reason: SelfAttested